तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/701** **कालू बनाम कैलाश व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2025	पत्रावली अपीलान्ट की ओर श्री रोशनलाल शर्मा, एड. मय वकालतनामा व प्रार्थना पत्र मिसल तलब कर फैसल करने बाबत प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। शा.फा. हो। वकील अपीलार्थी श्री रोशन लाल शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.06.2025 नियत है। अपीलान्ट अपील चलाना नहीं चाहते हैं। प्रकरण का आज ही निस्तारण चाहते हैं। अनावश्यक प्रकरण आगे नहीं चले इस कारण प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पक्षकारान के हित में प्रकरण की आगामी पेशी से तलब कर आज ही अपील का निस्तारण किये जाने बाबत आदेश फरमावें। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पक्षकारान के मध्य राज़ीनामा हो गया है। अपील अपीलान्ट कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अपील चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र मिसल तलब कर निवेदन है कि उक्त अपील को विड्रो कर फैसल करने बाबत आदेश फरमावें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वंय ही उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा कालू पुत्र भागू के प्रार्थना पत्र को पहचान के रूप में सत्यापित किया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रा. पत्र अपील विड्रो किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (दीप्ति कछवाहा) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	पहचानकर्ता R.Chand कालूराम